

छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक सूचना


स्नातक प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। अतः सभी विद्यार्थी निम्न निर्देशों के सापेक्ष छात्रवृत्ति पोर्टल <http://scholarship.up.gov.in/> पर जाकर यथाशीघ्र फॉर्म को अनन्तिम रूप से (बिना फाइनल लॉक किए) भरकर 30-सितम्बर-2022 तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करें। बी.ए. के विद्यार्थी अपने फॉर्म को नैतिक लिपिक श्रीमती बबिता रानी तथा बी.कॉम. के विद्यार्थी अपने फॉर्म को नैतिक लिपिक श्री सचिन शर्मा के पास जमा करेंगे।

- **निर्देश-1.** फॉर्म को फाइनल लॉक करने से पूर्व बिना फाइनल लॉक किए हुए फॉर्म को महाविद्यालय कार्यालय से अवश्य चेक कराएं जिससे कि फॉर्म में यदि कोई गलती हो तो उसे सुधारा जा सके।
- **निर्देश-2.** फॉर्म को बिना फाइनल लॉक किए हुए महाविद्यालय कार्यालय में 30-09-2022 तक अवश्य जमा कर दें ताकि यथासमय फॉर्म में हुई त्रुटि को संशोधित कराकर फॉर्म को फाइनल लॉक करवाया जा सके। उक्त तिथि के पश्चात बिना फाइनल लॉक किए हुए फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- **निर्देश-3.** छात्रवृत्ति फॉर्म में समस्त सूचनाएं अपने शैक्षिक अभिलेखों, यथा- हाइस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक (यदि लागू हो) तथा आधार कार्ड, स्वयं के बैंक पासबुक, जाति व आय प्रमाणपत्र की प्रविष्टि के अनुसार ही भरें।
- **निर्देश-4.** **हाइस्कूल और आधार कार्ड की प्रविष्टियाँ समान होनी चाहिए; अन्यथा छात्रवृत्ति फॉर्म महाविद्यालय स्तर से निरस्त कर दिया जाएगा।**
- **निर्देश-5.** फाइनल लॉक के पश्चात फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि/विसंगति होने पर फॉर्म में संशोधन सम्भव नहीं होगा तथा ऐसे छात्रवृत्ति फॉर्म को महाविद्यालय स्तर से निरस्त कर दिया जाएगा।
- **निर्देश-6.** **जिस विद्यार्थी की महाविद्यालय में उपस्थित 75% से कम होंगी उनके छात्रवृत्ति फॉर्म महाविद्यालय स्तर से निरस्त कर दिए जाएंगे।**
- **निर्देश-7.** छात्रवृत्ति फॉर्म को महाविद्यालय कार्यालय में जमा करते समय उसके साथ निम्न अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न/नत्थी करें, अभिलेखों के अभाव में फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा –
 - 1. हाईस्कूल के अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र।
 - 2. इंटरमीडिएट के अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र।
 - 3. स्नातक (स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों हेतु) के विगत वर्ष का अंकपत्र

- 4. आय प्रमाणपत्र।
- 5. जाति प्रमाणपत्र (यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं तो) जो 6 माह से अधिक पुरानी न हो।
- 6. आधार कार्ड।
- 7. बैंक पासबुक।
- 8. महाविद्यालय से प्राप्त परिचय-पत्र व प्रवेश-पत्र
- 9. फीस रशीद।
- 10. बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराने तथा **NPCI Mapping** कराने हेतु बैंक को दिया गया प्रार्थना-पत्र।

➤ **निर्देश-8.** छात्रवृत्ति को प्राप्त करने हेतु सभी विद्यार्थियों को अपने आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक कराना तथा बैंक खाते का **NPCI Mapping** करवाना अनिवार्य है। इसके लिए एक आवेदन पत्र उस बैंक के शाखा प्रबंधक को देना होगा जहां पर आपका बैंक एकाउंट है। बैंक के शाखा प्रबंधक को दिए गए आवेदन पत्र की प्राप्ति की छायाप्रति छात्रवृत्ति फॉर्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

बैंक के शाखा प्रबंधक को दिए जाने वाले आवेदन-पत्र का प्रारूप यहाँ पर संलग्न है। इस प्रारूप को महाविद्यालय की वेबसाइट <https://www.sbbdckosi.org/> के **Students' corner** पेज या **News & Events** पेज पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।



डॉ. विवेक कुमार पाण्डेय
आई.एन.ओ.
छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना



प्रो. (डॉ.) यशपाल सिंह
प्राचार्य एवं प्रोफेसर

**APPLICATION FOR LINKING/ SEEDING AADHAR NUMBER
AND RECEIVING DBT BENEFITS INTO BANK ACCOUNT-(NPCI MAPPING)***

The Branch Manager,
.....Branch
.....Bank

Date:

Dear Sir,

Account No. _____ in A/c Name _____

Linking / Seeding of Aadhaar in NPCI-Mapping for Receiving Direct Benefits

I am maintaining a Bank account No. _____ with your Branch.

2. I submit my Aadhaar number and voluntarily give my consent

to: Use my Aadhaar Details to authenticate me from UIDAI.

Use my Mobile Number mentioned below for sending SMS Alerts to me.

Link the Aadhaar Number to all my existing/new/future accounts and customer profile (CIF) with your Bank.

(Signature/Thumb Impression of customer)

OPTION FOR RECEIVING DBT BENEFITS (TICK ONE)

I wish to seed my account No. _____ with NPCI mapper to enable me to receive Direct Benefit Transfer (DBT) including LPG Subsidy from Govt. of India (GOI) in my above account. I understand that if more than one Benefit transfer is due to me, I will receive all the benefit transfers in the same account. **(for customer who have not so far seeded account with NPCI Mapper)**

I already have an account with _____ (name of Bank) having IIN Number** _____, and seeded with NPCI Mapper for receiving DBT from GOI. **I request you to change my NPCI mapping(DBT Benefit Account)** to my account with your Bank.

I already have an account with another bank _____ (name of Bank) having IIN Number** _____, and seeded with NPCI Mapper for receiving DBT from GOI. **I do not want to change my NPCI mapping(DBT Benefit Account)** from the existing Bank.

I do not wish to seed my accounts from your Bank with NPCI Mapper **(I will not be getting DBT).**

3. I have been explained about the nature of information that may be shared upon authentication. I have been given to understand that my *information submitted to the bank herewith shall not be used for any purpose other than mentioned above, or as per requirements of law.*

4. I hereby declare that all the above information voluntarily furnished by me is true, correct and complete.

Yours faithfully

[if consent sent through BC/BDO/VO]

(Signature/Thumb Impression of customer)

I hereby authorise the Banking Correspondent

.....

I hereby authorise the Sarpanch,/ V.O./B.D.O./

.....

to submit the above consent letter to the bank.

Name :

Mobile No.:

Email:

Encl: Copy of Aadhaar

(Signature/Thumb Impression of Customer)

*NPCI Mapping : Mapping is a process of associating a Bank with Aadhaar number which is facilitated by NPCI for Direct Benefit Transfer to the respective Bank who have linked the Aadhaar Number to a specific Bank account for receiving Direct Benefits to which customer has given the consent.

** IIN number will be provided by Bank receiving the consent Application